

CyR - 48
27.12.79

(15)

77

(37)

(32)

80

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 19, 1980 PART II, Sec. 30

Part II, Sec. 30

of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. 202 CUS, 10, S.P. No. 56/1 dated the 1st October, 1979, namely:—

In the Schedule of Customs Tariff, namely:—

For Serial Nos. 15 and 16 entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
15	Swiss Frames	20.00

[No. 648/1225-CUS, P. No. 56/16/79-CUS.VII]
A. BORDIA, Under Secy.

19th January, 1980

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

मा. का. नि. 47—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1914 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त प्रावधानों के अन्तर्गत करने हुए, सस्मर सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और वित्त विभाग) की अधिसूचना सं. 77/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूचीकरण के पूर्व निम्नलिखित परन्तु शब्द निम्नलिखित किया जाएगा, अर्थात्:—

“रसा तैव्या (समूह 'ग' और समूह 'ब' पद) में जो कि आदसार्ड को तैव्या तैव्या नहीं होगी, जब तक कि,—

- (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सहायक, सस्मर सरकार का यह सन्धान नहीं हो जाता कि जिस आदसार्ड, रसा तैव्या के विनियम में उपयोग के लिए तैव्या-यित है; और

(2) जिस आदसार्ड पर सस्मर-परिहार अभिप्राय करने के विनियम में उक्त नियमों के अध्या 10, में उल्लिखित प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया दिया जाता है।

अधिसूचना सं. 1/80-फा. सं. 126/1क/77-गो. एक्स. -
जी. एन. भागचन्दानी, प्रवर सचिव

New Delhi, the 19th January, 1980

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 17.—In exercise of the powers conferred by rule 11 of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 773-Central Excises, dated the 1st March, 1973, namely:—

In the said notification, before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that nothing in this notification shall apply to Zinc Oxide unless—

(a) the Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the Zinc Oxide is intended for use in the manufacture of rubber; and

(b) the procedure set out in Chapter X of the rules is followed in the matter of obtaining remission of duty on Zinc Oxide.”

[Notification No. 1/80-F. No. 126/1A/77-CX]

G. N. BHAGCHANDANI, Under Secy

(अर्थ विभाग)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1979

मा.का.नि. 48.—राजस्व विभाग के समुचय 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, रसा तैव्या (समूह 'ग' और समूह 'ब' पद) में जो कि आदसार्ड को तैव्या तैव्या नहीं होगी, जब तक कि,—

- (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सहायक, सस्मर सरकार का यह सन्धान नहीं हो जाता कि जिस आदसार्ड, रसा तैव्या के विनियम में उपयोग के लिए तैव्या-यित है; और

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सहायक, सस्मर सरकार का यह सन्धान नहीं हो जाता कि जिस आदसार्ड, रसा तैव्या के विनियम में उपयोग के लिए तैव्या-यित है; और

नियम 7 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधानों का प्रयोग, अर्थात्:—

“7. व्यापारिक—इस विनियम के अन्तर्गत ऐसे व्यापारिक, प्रायः सीमा में 25 गोर प्रत्येक विनियमों पर प्रभाव नहीं डालेंगे, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस विनियम के अन्तर्गत प्रयोग के लिए प्रमाणित किया जाएगा, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्तर्गत के लिए उपयुक्त करण प्रदान किया जाएगा।”

अनुसूची
उत्पाद-शुल्क

भाग 1—समूह 'ग' सेवा

क्रम संख्या	पर का नाम संख्या	विवरण	वैधानिकता	चयन पद संयुक्त संघर्ष पद	सोपे भर्ती किए जाने वाले अतिरिक्तों के लिए प्रायः सीमा	सोपे भर्ती किए जाने वाले अतिरिक्तों के लिए विशेष भेदिक और पद
1	2	3	4	5	6	7
2क पुनर्जननपत्रिका श्रेणी-3		साधारण केन्द्रित सेवा, समूह 'ग' सराज-पत्रिका, पत्रिका-पत्रिका	380-12-440- ५००-15- ५६०-२०००- २०-६४०००	लागू नहीं होता	35 वर्ष	प्राप्त्युक्त: (1) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से उपाधि या समतुल्य विद्यालय या संस्थान से तुल्य कालप विज्ञान में उपाधि की डिप्लोमा।

कई बार के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है।

38

(ग. ०६७९/ए. एन/ VIII/एन प्रां. शं.)

वि० एन० प्रार० रात्रि, सहायक शिक्षा सनाहकाल

2. In the Defence Accounts (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1970, in the Schedule Part I Group 'C' Services after S. No. 2 and the entries relating thereto S. No. 2-A and the entries relating thereto as per annexure to these rules shall be inserted.

3. For rule 7 the following rule shall be substituted, namely:—

"7. Saving: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

Sl. No.	Name of the Post	Number of posts	Classifications	Scale of Pay/ Revised Scales	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other Qualifications for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
2-A	Librarian, Grad -III	1	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 380-12-440-EB-15-560-EB-20-640.	Not applicable	35 Years	Essential: (i) Degree from a recognised University or equivalent. (ii) Degree or Diploma in Library Science of a recognised University or Institution.
9	10	11	12	13	14	15	
Not applicable	Two years	Direct Recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of two J.D.A.S. Officers and One Accounts Officer	Not applicable	Liable for Field Service in and out of India.	

*Subject to variation dependence on work load.

[No. 0698/AN/VIII/LIB]
V. N. R. RAO, Asstt. Financial Adviser

रजिस्ट्रार संख्या प्रो. एल.-33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92



SRO-94

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

No. 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 16, 1992/वैशाख 26, 1914

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16, 1992/VAISAKHA 26, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खंड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1992

का.नि.पा.91.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा (समूह "ग" और
समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा (समूह "ग" और "घ"
पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) यह 24 जुलाई, 1990 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(3) रक्षा लेखा (समूह "ग" और "घ" पद) भर्ती नियम, 1971 की धनु-
सूची में पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी-III के पदों से संबंधित क्रम संख्यांक 2-क
के सामने "धनुसूचि भाग-1 समूह "ग" सेवा" शीर्षक के नीचे,

(क) स्तम्भ 2 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि
रखी जाएगी; अर्थात्:—

"पुस्तकालय और सूचना सहायक" इ

(ख) स्तम्भ 5 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित
रखी जाएगी; अर्थात्:—

"1400-40-1600-50-2300-द.नं.-60-2600 रु०";

(ग) स्तम्भ 7 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित
रखी जाएगी; अर्थात्:—

"28 वर्ष से अधिक नहीं" (कैम्पेयर सरकार द्वारा
गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक
शिपिल करने 35 वर्ष तक की जा सकती है।)

टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख
धर्मपत्रों से आश्रय प्राप्त करने के लिए नियत प
तारीख होगी (यदि वह अंतिम तारीख जो धन
प्रवर्धन प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रि-
जम्मू-काश्मीर राज्य के लद्दाख जंटा, हिमाचल प्रां
और स्वीती जिले तथा चम्पा जिले के प्रौद्योगिक
और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के धर्मपत्रों के
की गई है।)

1106 GI/92-1

169

(ग) सभा 8 में की प्रविष्टि के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टि
रखी जायगी, अर्थात्—

"किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान में
पदोन्नति के मापदण्ड।

मान्यताप्राप्त विज्ञान

इन संशोधन की सुविधा प्रभाव इसलिये दिया जा रहा है क्योंकि
पुस्तकालय विज्ञान क्षेत्र [II] की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने के संबंध में
वित्त मंत्रालय, स्वयं विभाग (कार्यालय प्रकोष्ठ), गई दिनों के कार्यालय
आपन सं. 19(1) घाई.सी. 86/गारीय 24 जुलाई, 1990 को, सेवा कि
उन मंत्रालय के आपन सं. 19(1)/घाई.सी./186, तारीख 26 अक्टूबर,
1990 में अनुबंधित है, 24 जुलाई, 1990 अवधि उन्ने जारी किए जाने
की तारीख से प्रभावी किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि
निपटों की भुगतानों प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं
पड़ेगा।

[च. 0698/ए एन/VIII पुस्तकालय विज्ञान ('सी. पी.)]

एस. एल. लुथरा, पंडित विद्वत् सहायक (मनस्य)

टिप्पणी:—रक्षा सेवा (समूह "ग") और समूह "ब" वर्ग मर्जी नियम,
1971 का. प्र.सं. 4025 तारीख 23 जुलाई, 1971 में
प्रकाशित हुए थे, जिनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया जा
चुका है:—

1. का.प्र.सं. 2558	तारीख 16 सितम्बर, 1972
2. का.प्र.सं. 82	तारीख 12 जनवरी, 1974
3. सा.का.नि. 236	तारीख 1 मार्च, 1975
4. का.प्र.सं. 4757	तारीख 8 नवम्बर, 1975
5. का.प्र.सं. 136	तारीख 10 जनवरी, 1976
6. का.प्र.सं. 3902	तारीख 30 अक्टूबर, 1976
7. का.प्र.सं. 2596	तारीख 9 सितम्बर, 1978
8. सा.का.नि. सं. 1188	तारीख 30 सितम्बर, 1978
9. का.प्र.सं. 702	तारीख 24 फरवरी, 1979
10. का.प्र.सं. 1154	तारीख 7 अप्रैल, 1979
11. का.प्र.सं. 1440	तारीख 5 मई, 1979
12. सा.का.नि.सं. 702	तारीख 19 मई, 1979
13. सा.का.नि.सं. 48	तारीख 19 जनवरी, 1980
14. सा.का.नि. सं. 178	तारीख 16 फरवरी, 1980
15. सा.का.नि. 482	तारीख 3 मई, 1980
16. का.प्र.सं. 2038	तारीख 2 अगस्त, 1980
17. सा.का.नि. सं. 1038	तारीख 20 नवम्बर, 1981
18. सा.का.नि. सं. 119	तारीख 6 फरवरी, 1982
19. सा.का.नि. सं. 311	तारीख 27 मार्च, 1982
20. सा.का.नि. सं. 392	तारीख 13 अगस्त, 1983
21. सा.का.नि. सं. 853	तारीख 19 नवम्बर, 1983
22. सा.का.नि.सं. 1009	तारीख 3 दिसम्बर, 1983
23. सा.का.नि. सं. 226	तारीख 3 मार्च, 1984
24. का.नि.प्र.सं. 215	तारीख 28 सितम्बर, 1985
25. का.नि.प्र.सं. 302	तारीख 27 सितम्बर, 1985
26. का.नि.प्र.सं. 3	तारीख 17 जनवरी, 1987
27. का.नि.प्र.सं. 79	तारीख 23 अप्रैल, 1988
28. का.नि.प्र.सं. 370	तारीख 13 जनवरी, 1990
29. का.नि.प्र.सं. 102	तारीख 26 मई, 1990
30. का.नि.प्र.सं. 157	तारीख 24 अगस्त, 1991
31. का.नि.प्र.सं. 17	तारीख 10 सितम्बर, 1991

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 23rd April, 1992

S.R.O. 94.—In exercise of the powers conferred by the
proviso to article 309 of the Constitution, the President here
by makes the following rules further to amend the Defence
Accounts (Group 'C' and 'D' Posts) Recruitment Rules, 1971
namely:—

1. (1) These rules may be called the Defence Account
(Group 'C' and 'D' Posts) Recruitment (Amendment) Rules,
1992.

(2) They shall be deemed to have come into force with
effect from 24th July, 1990.

2. In the Schedule to the Defence Accounts (Group 'C'
and 'D' Posts) Recruitment Rules, 1971, under the heading
"The Schedule Part-I Group 'C' Service" against serial No.
2-A relating to the post of Librarian Grade-III:—

(a) in column 2, for the entry, the following entry shall
be substituted, namely:—

"Librarian and Information Assistant";

(b) in column 5, for the entry, the following entry shall
be substituted, namely:—

"Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600";

(c) in column 7, for the entry, the following entry shall
be substituted, namely:—

"Not exceeding 28 years (Relaxable for Government
servants upto 35 years in accordance with the in-
structions issued by the Central Government).

NOTE.—The crucial date for determining the age limit shall
be the closing date for receipt of applications for
candidates in India (and not the closing date pre-
scribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal
Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,
Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir
State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Di-
vision of Chamba District of Himachal Pradesh,
Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep);"

(d) in column 8, for the entry, the following entry shall
be substituted, namely:—

"Graduation with Bachelor degree in Library Science
from a recognised University";

EXPLANATORY MEMORANDUM

The amendment is being given retrospective effect as to
Ministry of Finance, Department of Expenditure's (Implemen-
tation-Cell); OM No. 19(1)/IC/86, dated the 24th July, 1990
New Delhi regarding change in Service conditions of Librarian
Grade-III has been given effect to from 24th July, 1990 i.e.
the date of its issue as stipulated in that Ministry's OM No.
19(1)/IC/86, dated the 26th October, 1990. It is certified
that the retrospective effect given to the rules will not adversely
affect any person.

[No. 0698/AN/VIII/Librarian (PC

S. L. LUTHRA, Asstt. Financial Adviser (Control)
NOTE.—The Defence Accounts (Group 'C' and 'D' Posts)
Recruitment Rules, 1971 were published vide No.
Notification No. S.O. 4025 dated the 23rd July, 1990
Subsequently amended by:

1. S.O. No. 2558, dated the 16th September, 1992.
2. S.O. No. 82, dated the 12th January, 1974.
3. G.S.R. No. 286, dated the 1st March, 1975.
4. S.O. No. 4757, dated the 8th November, 1975.
5. S.O. No. 136, dated the 10th January, 1976.
6. S.O. No. 3902, dated the 30th October, 1976.
7. S.O. No. 2596, dated the 9th September, 1978.
8. G.S.R. No. 1188, dated the 30th September, 1978.